इकाई 9 निविष्टियों की व्यवस्थाः वित्त और कच्चा माल

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देष्य
9.1 प्रस्तावना
9.2 वित्तः अर्थ, आवष्यकता और प्रकार
9.3 वित्त के स्त्रोत
9.4 विषिष्ट वित्तीय संस्थाएँ
9.5 वित्तीय स्त्रोतों का मूल्यांकन
9.6 कच्चा मालः इसकी उपलब्धि और महत्वपूर्ण सोच–विचार
9.7 सारांश
9.8 शब्दावली
9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.10 उपयोगी पुस्तकें
9.11 कार्यभार

9.0 उद्देष्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य होने चाहिए कि –

- वित्त का अर्थ और इसकी महत्वत्ता जान पायें;
- विभिन्न प्रकार की पूँजियों को समझ पायें;
- विभिन्न वित्तीय स्त्रोतों की पहचान कर पायें;
- उचित वित्त के माध्यम के चयन में युक्त कारणों को समझ पायें; और
- कच्चे माल की उपलब्धि में सहायक महत्वपूर्ण सोच–विचार कर पायें।

9.1 प्रस्तावना

जैसे ही उद्यमी यह निर्णय लेता है कि उसे व्यवसाय करना है तो उसके सम्मुख अनगिनत कार्य खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ कार्य इसके व्यवसाय को आरंभ करने और उसमें गतिषीलता लाने में अत्याधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकते हैं जबकि कुछ दूसरे कार्य इतना अधिक महत्व नहीं रखते। इसमे कोई शक नहीं कि उद्यमी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह निर्णय लेना है कि 'क्या किया जाए'? क्या उसे उत्पादक बन कर उत्पादन करना चाहिए या वह थोक व्यापार या खुदरा व्यापार आरंभ करे। एक बार इस महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पश्चात् दूसरे अहम् कार्य होते हैं व्यापार के लिए विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था करना।

सर्वप्रथम उद्यमी को पाँच 'एम' अर्थात धन (मनी), कच्चा माल (मैटिरियल), मनुष्य (मैन), विधि (मेथडस) और मषीनों (मषीनरी) को व्यापार के लिए एकत्र करना है। ये वे आधारभूत तत्व हैं जिनकी उद्यम को आवष्यकता होती है – उत्पादन करने पर इन तत्वों की आवष्यकता और अधिक हो जाती है। इस इकाई में प्रथम दो तत्व अर्थात् धन (मनी) [इसे वित्त के नाम से भी जाना जाता है] और कच्चा माल (मैटिरियल) के महत्व और प्रबंधन को समझाने का प्रयास किया गया है।

वित्त एक महत्वपूर्ण तत्व होता है क्योंकि कोई भी उद्यम बिना धन के जीवित नहीं रह सकता। कच्चा माल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिना कच्चे माल के वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता।

9.2 वित्तः अर्थ, आवष्यकता और प्रकार

'वित्त किसी भी उद्यम का जीवन–रक्त है' – यह किसी ने ठीक ही कहा है। वित्त सभी प्रकार के व्यवसायों में आवष्यक होता है – चाहे वह बड़ा हो या छोटा, चाहे वह उत्पादन से संबंधित हो या क्रय–विक्रय से। वित्त व्यवसाय के पहियों के लिए ल्युब्रीकेंट (चिकनाई) का कार्य करता है जिससे वे चलते और भागते रहें। कोई भी व्यावसायिक उपक्रम बिना धन के चल ही नहीं सकता। मनी (धन) व्यवसाय के पाँच 'एम' में से एक है – दूसरे चार हैं मैन (मनुष्य), मैटिरियल (कच्चा माल), मषीनरी (मषीनें) और मेथडस (विधि)। देष के आर्थिक विकास के लिए भी वित्त का होना अति आवष्यक होता है। पिछले बीस साल के आँकड़े बताते हैं कि इस दौरान लघु उद्योगों को स्थापित करने में तेजी आई है। इसका मुख्य कारण वित्त का आसान और उत्तम शर्तों पर उपलब्धि है। एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में वित्त की आवष्यकता में अंतर होता है। यह आवष्यकता बहुत से कारणों पर निर्भर करती है जैसे व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, समय आदि।

एक उद्यमी को धन की आवष्यकता निम्न उद्देष्यों के लिए पड़ सकती हैः

i) व्यवसाय को आरंभ करने के लिए

ii) व्यवसाय का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए

पूँजी के प्रकार

एक उद्यमी को निम्न दो प्रकार की पूँजी की आवष्यकता पड़ती हैः

1) स्थायी पूँजी

स्थायी पूँजी की आवष्यकता स्थायी परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मषीन, ऑफिस उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर्स, मषीनों की स्थापना आदि के लिए पड़ती है। इसके अतिरिक्त, स्थायी पूँजी की आवष्यकता बीमा, तकनीकी जानकारी आदि पर किए गए खर्च के लिए भी पड़ती है।

2) कार्यषील पूँजी

कार्यषील पूँजी की आवष्यकता व्यवसाय के रोजमर्रा के खर्चों को वहन करने के लिए पड़ती है। उदाहरणार्थ, कच्चा माल, पारिश्रमिक, किराया–प्रभार, परिवहन, ब्याज आदि पर किए गए खर्चे। इसे प्रचल पूँजी भी कहा जाता है। कच्चा माल के क्रय होने और उत्पादों के उत्पादन के पश्चात्, उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की प्रक्रिया आरंभ होती है। तत्पष्चात् बिक्री से प्राप्त होने वाले धन की वसूली के लिए प्रयास किए जाते हैं।

उधार बिक्री में फंसे धन की वसूली भी की जाती है। प्राप्त धन को फिर से कच्चा माल क्रय करने के लिए निवेषित किया जाता है तथा कार्यषील साइकिल (चक्र) चलता रहता है। इसीलिए हम इसे प्रचल पूँजी कहते हैं।

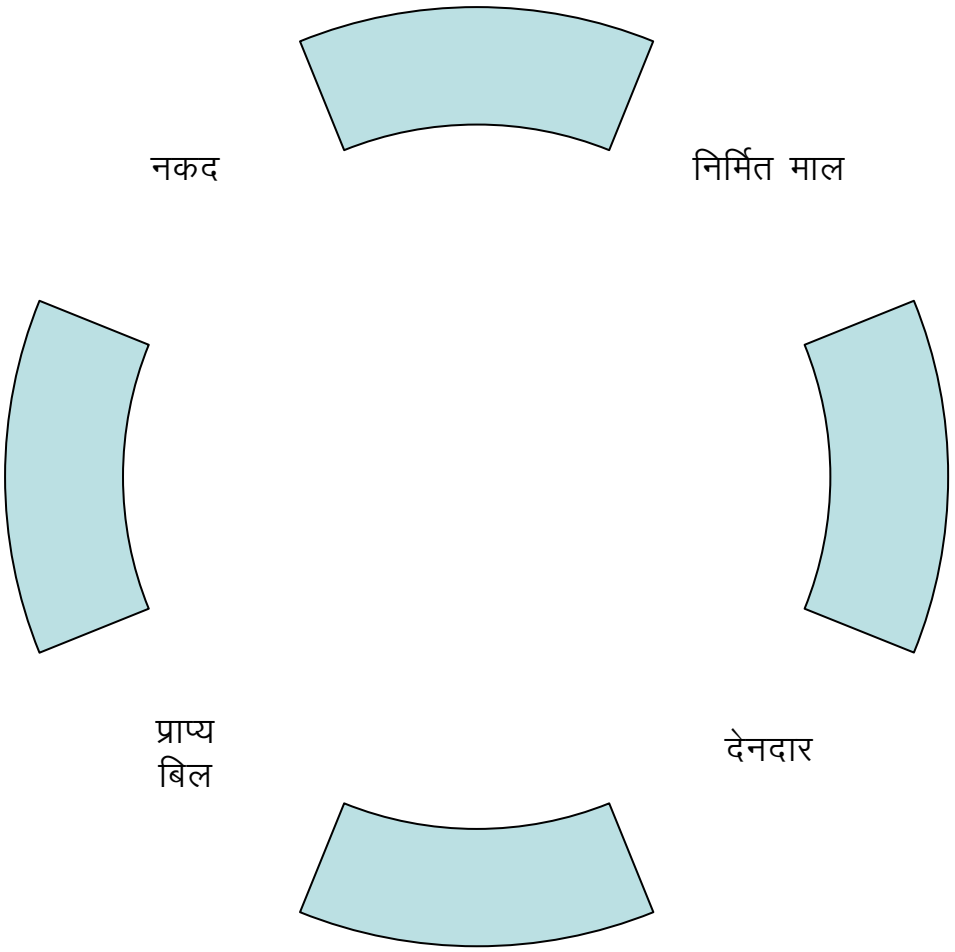

चित्र 9.1: उधार पर वस्तुएँ बेचने वाले ट्रेडिंग उपक्रम की कार्यषील साइकिल (चक्र) का चित्रांकन

वित्त के प्रकार

स्थायी पूँजी और प्रचल पूँजी के लिए उद्यमी को दीर्घकालीन वित्त और अल्पकालीन वित्त की आवष्यकता पड़ती है।

1) दीर्घकालीन वित्त

दीर्घकालीन वित्त का प्रयोग स्थायी परिसंपत्तियों जैसे भूमि और भवन, संयंत्र और मषीनरी आदि में निवेष के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यवसाय की स्थायी आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसी पूँजी उद्यमी स्वंय से और दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त कर सकता है। इसको व्यवसाय से निकाला नहीं जा सकता।

2) अल्पकालीन वित्त

अल्पकालीन वित्त की आवष्यकता कार्यषील पूँजी में निवेष के लिए पड़ती है। इसका प्रयोग व्यवसाय की अल्पकालीन आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, कच्चे माल का क्रय, पारिश्रमिक का भुगतान आदि। इस पूँजी की आवष्यकता प्रायः तीन महीने से लेकर दो साल तक की अवधि के लिए पड़ती है।

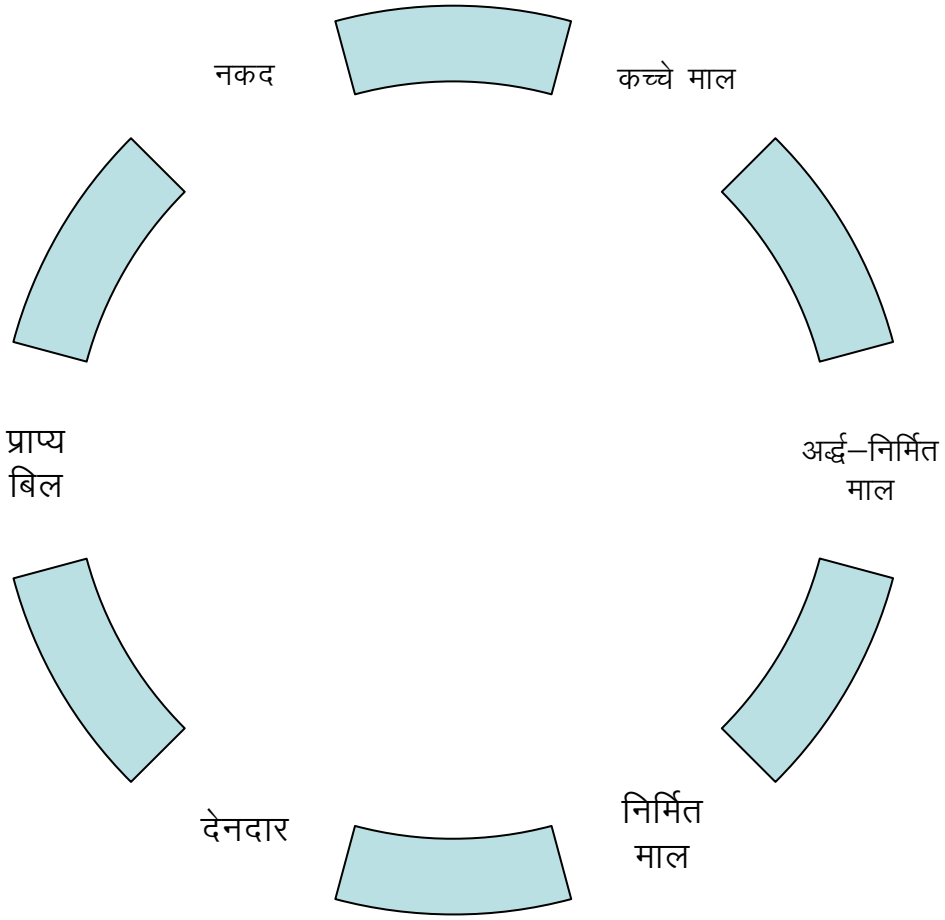

चित्र 9.2: उधार पर वस्तुएँ बेचने वाले उत्पादक फर्म की कार्यषील साइकिल का चित्रांकन

9.3 वित्त के स्त्रोत

वित्तीय स्त्रोतों को मोटे रुप में दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है:

i) स्वामित्व पूँजी
ii) ऋण पूँजी

स्वामित्व पूँजी से आषय इस धन से होता है जो उद्यमी स्वंय व्यवसाय में लगाता है। ऋण पूँजी ब्राहय एजेंसियों द्वारा ऋण के रुप में दी जाती है। स्त्रोतों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन स्त्रोतों में भी विभाजित किया जा सकता है। इन स्त्रोतों का वर्णन नीचे दिया गया है:

दीर्घकालीन वित्त के स्त्रोत

1. स्वामित्व पूँजी
2. प्रतिधारित लाभ
3. मित्रों और रिष्तेदारों से प्राप्त निधि
4. वाणिज्यिक बैंको से ऋण
5. राष्ट्रीय–स्तर की वित्तीय संस्थाओं से ऋण
6. राज्य–स्तर की वित्तीय संस्थाओं से ऋण

अब हम उर्पयुक्त वित्तीय स्त्रोतों का विस्तार में वर्णन करते हैं।

1. *स्वामित्व निधि*

इस निधि को स्वामी स्वंय व्यवसाय में लगाता है। एकाकी स्वामित्व की अवस्था में, व्यक्ति स्वंय स्वामित्व पूँजी को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और पिछली बचतों में से लाता है। एक साझेदारी उपक्रम में, साझेदारों द्वारा दी गई पूँजी को स्वामित्व निधि (फण्ड) कहा जाता है। कम्पनी के संबंध में स्वामित्व पूँजी को समता अंष जारी करके एकत्र किया जाता है।

2. *प्रतिधारित लाभ*

उद्यमी व्यवसाय में से संपूर्ण अर्जित लाभों को नहीं निकालता। प्रतिधारित लाभ वह धन होता है जो व्यवसाय में से उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत और परिवार की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए निकाले गए लाभ के पश्चात् उपलब्ध रहता है तथा व्यवसाय में ही लगा रहता है। प्रतिधारित लाभ एक दीर्घकालीन वित्तीय स्त्रोत होता है।

3. *मित्र और रिष्तेदार*

उद्यमी अपने मित्रों और रिष्तेदारों से भी धन एकत्र कर सकता है। इस धन की प्राप्ति प्रायः बिना ब्याज या फिर बहुत ही कम ब्याज दर पर हो जाती है। वापसी का कोई समय निष्चित नहीं होता तथा कोई प्रतिभूति भी नहीं देनी पड़ती। इस धन की प्राप्ति प्यार–मोहब्बत के कारण ही होती है।

4. *वाणिज्यिक बैंकों से ऋण*

हमारे देष के आर्थिक विकास के लिए सभी सरकारों ने वाणिज्यिक बैंको की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। यह दृष्टिगोचर होता है कि वाणिज्यिक बैंक, इसीलिए, उद्योग या व्यापार के प्रायः प्रत्येक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होते हैं चाहे वह छोटा हो या बड़ा। विभिन्न प्रकार के छोटे–बड़े प्रोजेक्टों के लिए बैंक ऋण सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में व्याप्त हैं चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो आदि आदि। वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में आने वाले छोटे प्रोजेक्टों को, लघु उद्योगों को और बड़ी इकाईयों को भी अवधि ऋण प्रदान करते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रायः सात वर्ष के भीतर देय होते हैं।

ग्रामीण और शहरी गरीब व्यक्तियों की उन्नति के लिए बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दिषा में वे सरकार द्वारा प्रसारित विभिन्न योजनाओं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY); प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY); स्कीम फार लिबरेषन एण्ड़ रिहेबिलिटेषन ऑफ स्कावेंजर्स (SLRS) आदि को कार्यान्वित करने में सक्रिय भाग ले रहे हैं।

5. *राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं से ऋण*

विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ बड़े उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्तीय संस्थाएँ जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI), भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक (IIBI), भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI),

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (NABARD) आदि बड़े प्रोजेक्टों को दीर्घकालीन स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इनको विकास वित्तीय संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। नए व्यावसायिक संघटनों की स्थापना के लिए और वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए ये संस्थाएँ वित्त प्रदान करने का एक बहुत बड़ा स्त्रोत होता है। विभिन्न नए और वर्तमान संघटनों को ये संवर्द्धन, तकनीकी और प्रबन्धन सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। ब्याज दर और वापसी प्रक्रिया सुविधाजनक और अल्प व्ययी होती है। मशीनों और उपकरणों के आयात के लिए विदेषी मुद्रा में ऋण और गारंटी, विलम्बित भुगतान सुविधाएँ भी ये संस्थाएँ उपलब्ध कराती हैं।

6. *राज्य–स्तर की वित्तीय संस्थाओं से ऋण*

राज्य–स्तर की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि राष्ट्रीय–स्तर की वित्तीय संस्थाएँ केवल बड़े पैमाने के उद्योगों को वित्त प्रदान कर रहीं थीं। इसलिए सरकार ने विकास बैंकों को प्रादेषिक स्तर पर स्थापित करना आरंभ किया जिससे लघु पैमाने के उद्योगों को भी वित्तीय सहायता मिल पाए। यह संस्थाएँ उद्योगों को भूमि, भवन और मषीनों के क्रय के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। ये औद्योगिक क्रियाओं में भी सहायता करती हैं जैसे साध्यता रिपोर्ट का सृजन करने में, उद्यमियों को पहचानने में तथा उनको प्रोजेक्ट आदि कार्यान्वित करने में।

अल्पकालीन वित्त के स्त्रोत

अल्पकालीन वित्त की आवष्यकता व्यवसाय की अल्पकालीन आवष्यकताओं (जैसे कार्यषील पूँजी) को पूरा करने में पड़ती है। अल्पकालीन ऋण प्रायः एक से तीन वर्षों के भीतर चुकाने पड़ते हैं। अल्पकालीन वित्त के मुख्य स्त्रोत निम्नलिखित हैंः

1. बैंक अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट)
2. नकद साख
3. विनिमय पत्रों का भुनाना
4. अल्पकालीन ऋण
5. आपूर्तिकर्ताओं से व्यापार साख
6. देय बिल/खाते
7. ग्राहकों से अग्रिम राषि
8. संभूति (ॲक्रूॲल)
9. फैक्टरिंग
10. सहकारी ऋण समितियाँ
11. देषी बैंकर्स

1. *बैंक अधिविकर्ष*

ऋण प्राप्त करने की यह एक अत्यंत सुविधाजनक विधि होती है। इसके अंतर्गत एक ग्राहक जिसका व्यापारिक बैंक के साथ चालू खाता है (जैसे केनरा बैंक के साथ) उसे खाते में जमा धनराषि से अधिक (ओवरड्राफ्ट) निकालने की अनुमति दे दी जाती है। जितना वह अधिक धन निकाल सकता है उसकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ब्याज समयानुसार अधिविकर्ष (अर्थात् जमाराषि से अधिक निकाला हुआ धन) पर ही लगाया जाता है। कुछ परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रुप में रखा

जाता है। अधिविकर्ष प्रायः घूमने वाली सीमा होती है जिसका नवीनीकरण हर वर्ष किया जाता है।

2. *नकद साख*

किसी भी औद्योगिक प्रोजेक्ट की कार्यषील पूँजी का एक बड़ा भाग कच्चे माल, अर्द्ध–निर्मित और पूर्णतया निर्मित वस्तुओं, अन्य स्टॉक आदि में निवेषित रहता है। व्यापारिक उपक्रमों में भी फण्ड की आवष्यकता भंडार माल के लिए होती है। इन वस्तुओं की प्रतिभूति के आधार पर नकद साख सुविधा के अंतर्गत खाते से नकद निकालने की अनुमति दे दी जाती है। ऋणी या उद्यमी को चालू खाते की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें से वह जब भी चाहे पैसा निकाल सकता है तथा जब चाहे जमा भी कर सकता है। इसके अंतर्गत एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तथा वहाँ तक ही पैसा निकालने की अनुमति रहती है।

3. *विनिमय पत्रों का भुनाना*

व्यापारिक बैंक वित्तीय सहायता विनिमय पत्रों को भी भुना कर प्रदान करते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत उद्यमी प्राप्य बिलों का पैसा उनकी परिपक्वता की तिथि से पहले ही निकाल सकता है। उद्यमी को प्राप्य बिलों को भुनाने का प्रभार बैंक को देना पड़ता है।

4. *अल्पकालीन ऋण*

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण किष्तों में चुकाया जाता है यह किष्त मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक हो सकती है। कार्यषील पूँजी की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापारिक बैंक अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अल्पकालीन ऋण प्रायः तीन वर्षों के भीतर चुकाने होते हैं जबकि मध्यकालीन ऋण तीन से सात वर्ष के भीतर चुकाने होते हैं। ऋण परिसंपत्तियों की प्रतिभूति और व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर प्रदान किया जाता है। जब–जब आवष्यकता होती है तो संपार्ष्विक प्रतिभूति भी मांग ली जाती है। ऋण पर ब्याज नियमित रुप से देना पड़ता है चाहे ऋणी को हानि ही क्यों न हो रही हो।

5. *आपूर्तिकर्ताओं से व्यापार साख*

वस्तुओं की बिक्री होने के कारण व्यापार साख विक्रेता द्वारा क्रेता को प्रदान की जाती है। व्यापार साख बिना किसी प्रतिभूति के व्यवसाय के कारण सामान्य रुप से मिल जाती है। व्यापार साख कितनी दी जाएगी यह क्रेता की साख, विक्रेता की वित्तीय स्थिति, क्रय की गई वस्तुओं की राषि आदि पर निर्भर करता है।

6. *देय खाते/बिल*

व्यापार साख का एक दूसरा रुप देय खाते हैं। इसके अंतर्गत क्रेता को एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जैसे विनिमय पत्र या प्रतिज्ञायुक्त रुक्का जो यह दर्षाता है कि उसे विक्रेता को पैसा चुकाना है। यह उधार भी बिना किसी प्रतिभूति के दिया जाता है।

7. *संभूति खाते*

प्रायः आय–प्राप्ति में तथा उस आय को प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों में कुछ समय का अन्तर रहता है। वे खर्चे जिनक भुगतान में अभी समय रहता है उद्यमी

को कार्यषील पूँजी प्रदान करने में सहायक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ पारिश्रमिक और वेतन, देय कर जिनका भुगतान अभी नहीं करना है आदि। पारिश्रमिक और वेतन का भुगतान सेवा प्राप्त करने के पश्चात् अगले माह में होता है।

8. ग्राहकों से अग्रिम राषि

यदि उद्यमी उत्पादन कर रहा है और उसका उत्पादन कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो वह ग्राहकों से आर्डर लेते समय कुछ अग्रिम राषि माँग सकता है। यह एक बहुत ही सस्ता अल्पकालीन वित्त का स्त्रोत होता है क्योंकि उत्पादक को या तो ब्याज देना ही नहीं पड़ता या फिर ब्याज दर बहुत ही अल्प होती है।

9. फैक्टरिंग

फैक्टरिंग के द्वारा उद्यमी अल्पकालीन वित्त प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमी अपने देनदारों को फैक्टरिंग फर्म के नाम कर देता है। देनदारों के शेष अपने नाम में होने के पश्चात् बैंकर उद्यमी को ऋण प्रदान कर देता है। फैक्टरिंग सेवाओं के लिए फैक्टरिंग फर्म प्रभार लगाती है जिसे 'व्यापारिक प्रभार' कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने एस.बी.आई फैक्टर्स एण्ड कमर्षियल सर्विसेस लि0 के नाम से एक सहायक कंपनी आरंभ की है जो फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करती है। इसी प्रकार, केनरा बैंक ने भी केनरा बैंक फैक्टर्स लि0 नाम से एक सहायक कंपनी बनाई है जिसका उद्देष्य भारत में फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करना है। सिड़बी (SIDBI) ने भी अपनी फैक्टरिंग सेवाएँ आरम्भ कर दी हैं।

10. सहकारी साख समितियाँ

सहकारी साख समितियों की स्थापना षिल्पकार, कृषक, औद्योगिक श्रमिक आदि करते हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। अपने सदस्यों में ये बचत की आदत को भी प्रोत्साहित करती है।

11. देषी बैंकर

उद्यमी या व्यापारी विभिन्न देषी बैंकर्स से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। ये देष के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न नामों से जाने जाते हैं जैसे – श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन आदि। इनके आकार में अंतर होता है। ये छोटे–मोटे साहूकारों से लेकर बड़े–बड़े श्राफ तक हो सकते हैं जो बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे होते हैं। ये उद्यमी को हुण्ड़ी और विनिमय पत्र के आधार पर वित्त प्रदान करते हैं। ये उद्यमी को उसकी व्यक्तिगत साख पर ऋण देते हैं। ब्याज दर प्रायः बहुत अधिक होती है। अधिकांषतः ऋणी व्यक्ति को कोई रसीद आदि नहीं दी जाती।

बोध प्रश्नों के लिए अभ्यास 1

नोट : क) अपने उत्तर के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ख) अपने उत्तरों का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1. निम्नलिखित में वित्तीय स्त्रोतों का नाम बताएँः

i) राकेष ने अपने दादा–दादी से व्यवसाय आरंभ करने हेतु 1,00,000 रुपये प्राप्त किए।

.....

ii) मुकेष का पड़ोसी श्री गणेष उसे 500 रु0 उधार बिना किसी ब्याज के देने के लिए सहमत हो गया।

.....

iii) सुहेल खन्ना अपने बहनोई से 25000 रु0 5% सालाना ब्याज पर उधार लेता है।

.....

iv) मै0 उत्कर्ष एण्ड़ संस ने केनरा बैंक से एक लाख रु0 का ऋण लिया जिसे तीन वर्षों में चुकाना है।

.....

v) किषोर अपना व्यवसाय 50,000 रु0 नकद निवेष करके आरंभ करता है।

.....

2. निम्नलिखित खर्चों को स्थायी पूँजी और कार्यषील पूँजी में वर्गीकृत करें।

i) कच्चे माल का क्रय

.....

ii) संयंत्र और मषीनों का क्रय

.....

iii) भूमि और भवन का क्रय

.....

iv) किराया भुगतान

.....

v) 'मारूति 800' नामक कार का क्रय

.....

3. निम्नलिखित की वित्तीय स्त्रोतों का नाम बताएँः

i) ऐसा वित्तीय स्त्रोत जहाँ विक्रेता 'साख' प्रदान करता है।

.....

ii) ऐसा वित्तीय स्त्रोत जहाँ खर्चे अगले माह के प्रथम सप्ताह में देय होते हैं जबकि सेवाएँ पिछले महीने में ही मिल जाती हैं।

.....

iii) ऐसा वित्तीय स्त्रोत जहाँ 'साहूकार' और 'महाजन' व्यवसाय के लिए 'साख' देते हैं।

.....

iv) ऐसा वित्तीय स्त्रोत जहाँ व्यापारिक बैंक ग्राहकों को जमाराषि से अधिक निकालने की अनुमति देते हैं।

.....

v) ऐसा वित्तीय स्त्रोत जहाँ उद्यमी प्राप्य बिल का पैसा बैंक से परिपक्वता तिथि से पहले प्राप्त कर लेता है।

.....

9.4 विषिष्ट वित्तीय संस्थाएँ

विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ मुख्यतः दीर्घकालीन वित्तीय सहायता विभिन्न रुपों में प्रदान करती है। ऋण–स्वीकृति के अतिरिक्त ये व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा अन्य स्त्रोतों से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी देती हैं।

इन संस्थाओं को विकास बैंको के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पूँजी के अतिरिक्त व्यावसायिक जानकारी और उद्यमषीलता भी उद्यम को प्रदान करती है। ये संस्थाएँ संभाव्य उद्यमौकिक सर्वेक्षण करती हैं; विकास प्रोजेक्टों की पहचान करती है; तकनीकी, प्रबंधकीय और अन्य प्रकार की सहायता उद्यमियों को प्रदान करती है।

ये विषेष वित्तीय संस्थाएँ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की पहल पर लगाई गई है।

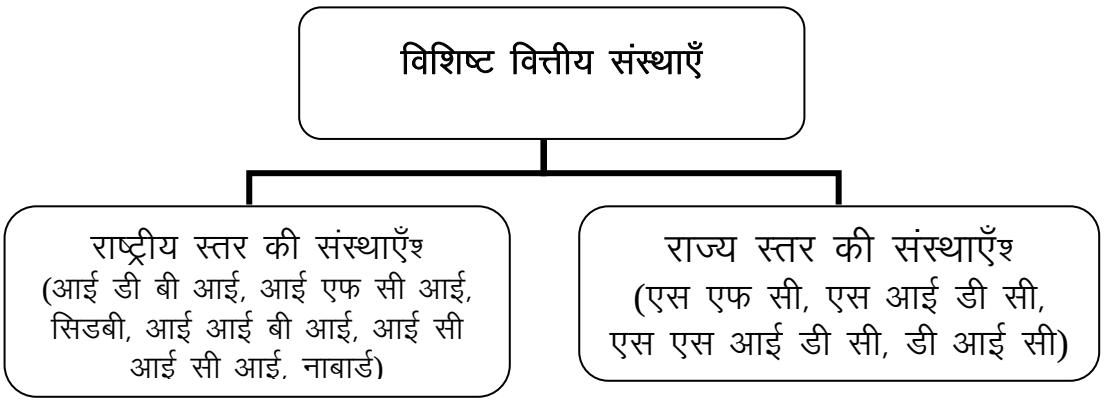

चित्र 9.3: विषिष्ट वित्तीय संस्थाओं के प्रकार का चित्रांकन

अब हम कुछ मुख्य विषिष्ट वित्तीय संस्थाओं का वर्णन करते हैं:

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 1 जुलाई 1964 को हुई। यह सर्वोच्च स्तर की राष्ट्रीय संस्था के रुप में उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है। सन् 1976 में आई.डी.बी.आई का स्वामित्व

सरकार को अंतरित हो गया तथा इसको अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया जिसके अंतर्गत इसे प्रमुख वित्तीय संस्था की भूमिका निभाते हुए उन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना था जो उद्योगों की वित्तीय, संवर्द्धन और विकास की समस्याओं के समाधान में जुटी थी।

आई.डी.बी.आई के कार्य

i) दीर्घकालीन ऋण देकर यह औद्योगिक उपक्रमों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii) उद्योगों के संवर्द्धन और विस्तार के लिए यह तकनीकी और प्रषासनिक सहायता प्रदान करती है।

iii) औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए यह गारंटी देती है।

iv) यह औद्योगिक उपक्रमों के विनिमय–पत्रों को स्वीकार करती है तथा उन्हें भुनाने व पुर्नभुनाने का कार्य करती है।

v) ये पुर्नःवित्त सुविधाएं प्रदान करती है।

2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत सन् 1989 में आई.डी.बी.आई की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में हुई। इसका प्रमुख कार्य लघु उद्योगों के क्षेत्र में पुर्नःवित्त प्रदान करना, बिलों का पुर्नःभुनाना और इन उद्योगों को पूँजी संबंधी सहायता देना है। इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से आरम्भ किया। 27 मार्च 2000 को सिडबी को आई.डी.बी.आई से विभक्त कर दिया गया। यह सर्वोच्च स्तर की राष्ट्रीय संस्था के रुप में लघु क्षेत्र में लगे उद्योगों को संवर्द्धन, वित्त और विकास सेवाएँ प्रदान करती है।

सिडबी के कार्य

i) यह सावधि ऋणों और कार्यषील पूँजी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii) यह लघु इकाईयों को बेची गई मषीनों के कारण उत्पन्न हुए बिलों को भुना कर और पुर्नःभुना कर वित्त प्रदान करती है।

iii) यह वेन्चर कैपिटल सहायता प्रदान करती है।

iv) यह फैक्टरिंग, पट्टा आदि की सेवाएँ प्रदान करती है।

3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, लघु पैमाने के उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तकला आदि के संवर्द्धन के लिए किया गया। यह कृषि वित्त के लिए सर्वोच्च स्तर का बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। यह पुर्नवित्त की सुविधा प्रदान करती है। इसने सूक्ष्म वित्त (Micro Finance) प्रोग्राम को आरंभ किया है जिसके अंतर्गत लाखों निर्धन व्यक्तियों को ऋण सुविधा मिल पा रही है। इसने विषेष फण्डों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में नवप्रर्वतनों का पोषण करने के लिए की है। इन फण्डों के कुछ नाम हैं – वाटरषेड विकास फण्ड, पिछड़ी जातीय विकास फण्ड, अनुसंधान एवं विकास फण्ड, कृषि नवप्रर्वतन फण्ड, सूक्ष्म वित्त विकास एवं ईक्विटी फण्ड।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने का मुख्य उद्देष्य बैंकिग सेवाओं को ग्रामीण जनसमूह के द्वारा पर लाना था। आरंभ में इन बैंको ने लक्षित समूहों अर्थात् समाज के निर्बल समुदाय के व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया। सन् 1997 से इन्होनें लक्षित समूह के बाहर भी ऋण देना आरंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत ये ऋणों को प्राथमिक क्षेत्र और अप्राथमिक क्षेत्र के ऋणों में वर्गीकृत करते हैं।

5. राज्य वित्त निगम (SFCs)

संसद द्वारा एक नया अधिनियम 'स्टेट फाइनेन्षियल कारपोरेषन एक्ट, 1951' के नाम से पारित किया गया जिसके अंतर्गत सभी राज्य (जम्मू एण्ड कष्मीर को छोड़कर) अपने स्वंय के 'वित्त निगम' स्थापित कर सकते थे। वर्तमान में 18 'राज्य वित्त निगम' विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं।

'राज्य वित्त निगमों' का मुख्य उद्देष्य लघु एवं मध्य आकार वाले पाँच करोड़ तक की लागत से लगे उद्योगों को वित्त और संवर्द्धन सेवाएँ प्रदत्त करना है जिससे क्षेत्रीय–स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विकास समान रुप से संभव हो पाए तथा रोजगार के अवसर विकसित हो पाएँ। आई.डी.बी.आई. और सिड़बी द्वारा प्रचालित विभिन्न पुर्नवित्त और इक्विटी के प्रकार की योजनाओं को 'राज्य वित्त निगम' चला रहे हैं। इन योजनाओं में षिल्पकारों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से बाधित व्यक्तियों आदि तथा परिवहन चालकों, होटल और हॉस्पिटल आदि को लगाने के लिए ऋण व्यवस्था सम्मिलित है।

'राज्य वित्त निगम' एकल स्वामित्व और साझेदारी उपक्रमों को 120 लाख रु0 तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।

राज्य वित्त निगमों के कार्य

राज्य वित्त निगमों के निम्नलिखित कार्य हैः

i) ये सावधि ऋण भूमि, भवन, प्लांट और मषीनरी, अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय के लिए प्रदान करते हैं।

ii) ये तकनीकी रुप से प्रषिक्षित व्यक्तियों को प्रषिक्षण देने हेतु प्रषिक्षण संस्थाएँ और पौलिटेकनिक केन्द्रों की स्थापना करते हैं।

iii) ये राज्य के अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देते हैं तथा अवसंरचना विकास जैसे विद्युत, सड़कें, जल आदि हेतु भाग लेते हैं।

iv) ये स्व–रोजगार को बढ़ावा देते हैं।

v) ये वर्तमान इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिक उन्नति हेतु वित्त सुविधा प्रदान करते हैं।

vi) ये स्थानीय कठिनाईयों की पहचान और उनका निरीक्षण करते हैं।

vii) ये आई.डी.बी.आई योजनाओं के अंतर्गत बीज पूँजी सहायता प्रदान करते हैं।

viii) ये संयंत्र और मषीनों के क्रय हेतु विलंबित भुगतान गारंटी देते हैं।

ix) ये विष्व बैंक योजनाओं के अंतर्गत विदेषी मुद्रा ऋण प्रदान करते हैं।

वित्तीय सहायता की सामान्य शर्तें जिन पर 'राज्य वित्त निगम' लघु आकार के उद्योगों के लिए ऋण स्वीकृति करते हैं:

वित्तीय सहायता की सामान्य शर्तें जिन पर लघु आकार के उद्योगों के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं:

1) *सहायता की राशि:* अधिकतम सीमा के अतिरिक्त सहायता की राषि की कोई कम या अधिक मात्रा नहीं होती है।

2) *देय–इक्विटी अनुपातः* सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त निगम प्रायः 2.5:1 का देय–इक्विटी अनुपात स्वीकृत करते हैं।

3) *प्रवर्तकों का योगदानः* 12.5% से 22.5% तक का प्रवर्तकों का कम से कम योगदान प्रोजेक्ट के स्थान और उद्योग की श्रेणी के आधार पर स्वीकार्य होता है।

4) *वापसी समयः* राज्य वित्त निगम 'वापसी समय' का निर्धारण प्रोजेक्ट की लाभ प्रदत्ता और देय प्रभार क्षमता को ध्यान में रखते हुए करते हैं। दस वर्षों से अधिक का वापसी समय स्वीकृत नहीं होता।

5) *ब्याज दरः* ये दरें समयानुसार संषोधित की जाती रहती हैं।

6) *वचन–बद्धता प्रभारः* इस प्रकार का प्रभार स्वीकृति से 12 माह व्यतीत होने के बाद ही देय होता है। लेकिन दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न–भिन्न हो सकती है। सामान्य वचन–बद्धता प्रभार दरें निम्न प्रकार से हैं:

5 लाख तक के ऋणों के लिए	:	कुछ नहीं
दूसरे प्रोजेक्टों के लिए	:	1% वार्षिक

राज्य वित्त निगमों द्वारा प्रचालित मिश्रित ऋण योजना

सामान्य तौर से राज्य वित्त निगम सावधि ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। कार्यषील पूँजी हेतु औद्योगिक इकाई को व्यापारिक बैंकों के पास जाना पड़ता है। लेकिन राज्य वित्त निगम एक मिश्रित ऋण योजना भी चलाते हैं जिसके अंतर्गत इकाई की सभी आवष्यकताओं की पूर्ति की जाती है। 50,000 रु0 तक के मिश्रित ऋण षिल्पकारों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों तथा अत्यंत लघु औद्योगिक इकाईयों को उनसे संबंधित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। मिश्रित ऋणों का वापसी समय तीन से पाँच वर्षों के भीतर का होता है।

आई.डी.बी.आई योजना के अंतर्गत राज्य वित्त निगमों द्वारा प्रदत्त बीज पूँजी सहायता

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता प्रति इकाई 15 लाख रु0 होती है। सामान्यतः निम्न प्रकार के उद्यमी इस सहायता को पाने के योग्य होते हैं:

i) ऐसे उद्यमी जो लघु आकार की इकाई प्रथम बार लगा रहे होते हैं।

ii) ऐसे उद्यमी जो लघु आकार की इकाई बने रहते हुए अपनी इकाई का विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण करना चाहते हैं।

iii) ऐसे उद्यमी जो मध्यम आकार की इकाई पहली बार लगाना चाहते हैं या अपने विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार, विविधीकरण आदि अधिक सक्षमता के लिए करना चाहते हैं।

iv) ऐसे उद्यमी जो विद्यमान बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को लेकर चलाना चाहते हैं।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रोजेक्ट वित्त हेतु मुख्य ऋण आवेदन पत्र के साथ–साथ जमा कर सकते हैं। यह सहायता निःषुल्क ब्याज पर दी जाती है तथा मामूली सा 1% वार्षिक सेवा प्रभार सहायता की बकाया धनराषि पर लगाया जाता है।

6. राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCs)

सन् 1960 और 1970 के बीच राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना हुई। इनकी स्थापना या तो कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य सरकारों के संपूर्ण स्वामित्व के उपक्रमों के रुप में हुई या फिर विषिष्ट राज्य अधिनियमों के अंतर्गत स्वषासित निगमों के रुप में हुई। विभिन्न राज्यों ने अपने क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सुधार लाने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगमों को स्थापित किया। ये निगम राज्य सरकारों द्वारा जारी दिषा–निर्देषों पर कार्य करते हैं। हमारे देष में 28 राज्य औद्योगिक विकास निगम कार्यरत हैं। ये लघु और मध्यम आकार की इकाईयों को सहायता प्रदान करते हैं तथा दस करोड़ तक की लागत वाले प्रोजेक्टों को भी सहायता प्रदान करते हैं।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों के कार्य

i) ये अपने कार्यों जैसे प्रोजेक्ट की पहचान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सृजन, उद्यमियों का चयन और उनके प्रषिक्षण द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित और उनका विकास करते हैं।

ii) ये उद्योगों को सावधि ऋण प्रदान करते हैं।

iii) ये केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के रुप में प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

iv) आई.डी.बी.आई और सिडबी के एजेंट के रुप में कार्य करते हुए ये बीज पूँजी योजना का लाभ प्रदान करते हैं।

v) ये इक्विटी में भाग लेकर उद्यमी को जोखिम पूँजी प्रदान करते हैं।

vi) ये अवसंरचना संबंधी सुविधाएँ प्रदान कर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हैं।

7. राज्य लघु औद्योगिक विकास निगम (SSIDCs)

ये राज्य सरकारों के उपक्रम होते हैं जो अपने क्षेत्रों में लघु, अल्प लघु और कुटीर उद्योगों की आवष्यकताओं को पूरा करते हैं। लघु औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए ये विभिन्न कार्य करते हैं। वर्तमान में 18 राज्य लघु औद्योगिक विकास निगम कार्यरत हैं।

SSIDCs के कार्य

i) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रुप में ये बीज पूँजी सहायता प्रदान करते हैं।

ii) ये कम मिलने वाले कच्चे माल को क्रय कर उसका वितरण करते हैं।

iii) ये किराया–क्रय आधार पर मषीनरी प्रदान करते हैं।

iv) ये लघु आकार की इकाईयों के उत्पादों के विपणन संबंधी सुविधा प्रदान करते हैं।

v) ये उत्पादन इकाईयों को प्रबंधकीय सहायता प्रदान करते हैं।

8. जिला उद्योग केन्द्र (DICs)

ये प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए है। इन केन्द्रों को स्थापित करने का उद्देष्य लघु और ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना है। ये जिले में लघु इकाईयों के विकास हेतु कच्चे माल की उपलब्धि हेतु सूचनाएँ एकत्र करते हैं तथा मषीनों और उपकरण, विपणन अनुसंधान, साख सुविधा आदि की व्यवस्था करते हैं। ये लघु क्षेत्र में संभावित ऋणियों की पहचान करते हैं तथा उनके ऋण आवेदन पत्रों को जिले में कार्यरत बैंकों को अपनी अनुषंसा सहित प्रेषित करते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना **(PMRY)** के अंतर्गत इनको हिताधिकारी व्यक्तियों की पहचान का कार्य सौंपा गया है तथा योजना को सुचारु रुप से लागू करने का कार्य भी इनके ऊपर है।

बोध प्रश्नों के लिए अभ्यास 2

नोट : क) अपने उत्तर के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ख) अपने उत्तरों का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1. निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं का पूरा रुप लिखिए:

i) IDBI

.....

ii) SIDBI

.....

iii) NABARD

.....

iv) SFC

.....

2. निम्नलिखित का मिलान करें:

I	II
1. SFC	A) लघु क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की राष्ट्रीय संस्था
2. SIDCs	B) दिल्ली वित्त निगम
3. SSIDCs	C) जिले में ऋणियां की पहचान
4. SIDBI	D) लघु, अल्प लघु ओर कुटीर उद्योग
5. DICs	E) 28 (अट्ठाईस)

9.5 वित्तीय स्त्रोतों का मूल्यांकन

उर्पयुक्त वर्णित वित्तीय स्त्रोतों को हम मौटे तौर पर स्वामित्व पूँजी और ऋण पूँजी में विभाजित कर सकते हैं। दोनों ही स्त्रोतों के अपने लाभ और हानि होते हैं। ऋण पूँजी को लेते समय भी उद्यमी विभिन्न विकल्पों का आंकलन कर सकता है तथा उनमें से किसी एक का चयन कर सकता है।

स्वामित्व पूँजी के लाभ

i) *दीर्घकालीन पूँजी:* ये स्त्रोत उद्यमी को दीर्घकालीन फण्ड दिलवाते हैं। स्वामित्व पूँजी दीर्घकालीन निवेष प्रदत्त करती है।

ii) *नियंत्रण:* उद्यमी का अपने उद्यम पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। बाह्य व्यक्ति के हस्तक्षेप बिना वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। अतः उसका अपने व्यवसाय पर नियंत्रण रहता है।

iii) *परिसंपत्तियों पर कोई प्रभार नहीं:* जब तक उद्यमी की अपनी पूँजी व्यवसाय में निवेषित रहती है उसे अपनी परिसंपत्तियों को किसी भी संस्था के पास गिरवी नहीं रखना पड़ता है। परिणामतः वह फर्म की परिसंपत्तियों को अन्य एजेन्सियों के पास प्रतिभूति के रुप में रखने के लिए स्वतंत्र होता है यदि उसे ऋण लेना हो और उसे लग रहा है कि उसे अतिरिक्त पूँजी की आवष्यकता है।

iv) *देयता की वापसी नहीं:* स्वामित्व पूँजी को किसी अन्य को वापिस नहीं करना पड़ता पर ऋण की दषा में उसे एक समय के पश्चात् चुकाना ही पड़ता है।

v) *स्थायी लागत नहीं:* स्वामित्व पूँजी की अवस्था में कोई स्थायी लागत नहीं होती पर ऋण लेने पर उसका ब्याज समय–समय पर चुकाना पड़ता है।

स्वामित्व पूँजी की हानियाँ

i) *व्यक्तिगत बचतों का निवेष:* यदि उद्यमी ने अपना धन व्यवसाय में निवेषित कर दिया है तो उसकी व्यक्तिगत बचत का एक बड़ा भाग निकल जाता है। इसलिए कठिन समय के लिए उसके पास अधिक नहीं रहता।

ii) *विस्तार क्षमता सीमितः* व्यवसाय में अपनी पूँजी निवेषित होने के कारण, उसकी विस्तार क्षमता सीमित हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक सीमा तक ही अपने संसाधन लगा सकता है तत्पष्चात् उसे ऋण सहायता लेनी ही पड़ेगी।

iii) *अतिपूँजीकरण का भयः* स्वामित्व पूँजी का प्रयोग कभी–कभी अतिपूँजीकरण को जन्म दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्यमी व्यवसाय में बिना सीमा के निवेष करने के लिए स्वतंत्र रहता है। कभी–कभी निवेषित पूँजी बहुत अधिक हो जाती है और उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। उस दषा में लाभ दर निवेषित पूँजी पर आने वाली सामान्य लाभ दर की अपेक्षा कम हो जाती है।

ऋण पूँजी के लाभ

i) *फण्ड की उपलब्धिः* उद्यमी को वे फण्ड उपलब्ध हो जाते हैं जो स्वामित्व पूँजी द्वारा नहीं मिल पाते।

ii) *दीर्घकालीन स्त्रोतः* बाह्य फण्ड जैसे दीर्घकालीन बैंक ऋण, एक ऐसा स्त्रोत है जिसे स्थायी परिसंपत्तियों में निवेष कर सकते हैं।

iii) *विस्तार की क्षमताः* उद्यमी अपने उद्यम को विकसित करने की सोच सकता है क्योंकि ऋणों द्वारा अधिक पूँजी की उपलब्धि हो जाती है जिसका उपयोग व्यवसाय के आधुनिकीकरण और विविधीकरण में किया जा सकता है।

iv) *कर लाभः* ऋण पूँजी पर दिया जाने वाला ब्याज एक खर्चा होता है जिसे उस लाभ में से कम कर सकते हैं जिस पर आयकर देय है। इस प्रकार से ऋण कर लाभ पहुँचाते हैं।

v) *प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं:* सामान्यतः बैंक व्यवसाय के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करते।

ऋण पूँजी की हानियाँ

i) *वित्त भारः* उद्यमी को पूर्व–निर्धारित दर से ऋण पर लगातार ब्याज देना पड़ता है। उद्यम में हानि होने पर यह एक वित्त भार हो सकता है।

ii) *परिसंपत्तियों पर प्रभारः* ऋण प्रायः परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रुप में रखकर प्राप्त होते हैं। गिरवी होने के कारण परिसंपत्तियों पर उद्यमी का पूर्ण स्वामित्व नहीं रहता।

iii) *ऋण क्षमताः* आदर्ष ऋण–इक्विटी अनुपात 2:1 है। अधिक ऋण लेने से उद्यमी की ऋण क्षमता कम हो जाती है परिणामस्वरुप वह एक सीमा के पश्चात् ऋण लेने योग्य नहीं रहता।

ऋण स्त्रोत के चयन को प्रभावित करने वाले कारक

किसी भी ऋण स्त्रोत का चयन करने से पहले विभिन्न कारकों का आंकलन करना चाहिए। ये कारक निम्नलिखित हैं:

i) *ब्याज दरः* ब्याज एक ऐसा खर्चा है जिसे उद्यमी को सदैव वहन करना पड़ता है चाहे व्यवसाय में लाभ हो या नहीं। यह व्यवसाय के लाभों को कम कर देता है। इसलिए उद्यमी को किसी भी संस्था से ऋण लेने का निर्णय लेने से पहले यह

पता लगाना चाहिए कि कौन सी संस्था सबसे कम ब्याज ले रही है। उसे उसी स्त्रोत का चयन करना चाहिए जहाँ का ब्याज भार सबसे कम वहन करना पड़े।

ii) *वापसी का समयः* विभिन्न स्त्रोतों का आंकलन करते समय उद्यमी को ऋण वापसी संबंधी शर्तें भी ध्यान में रखनी चाहिए। प्राथमिकता उसी बैंक या संस्था को देनी चाहिए जो एक ही प्रकार के ऋण के लिए सबसे अधिक वापसी का समय स्वीकृत कर रहा हो।

iii) *मार्जिन आवष्यकताएँः* प्रत्येक बैंकर/संस्था उद्यमी द्वारा धन का कुछ अंष योगदान के रुप में चाहती है जिसे मार्जिन धन कहते हैं। लेकिन मार्जिन आवष्यकताएँ बैंक दर बैंक अलग अलग हो सकती है। अतः उद्यमी ऋण देने वाली संस्था से मार्जिन धन कम से कम करवाने का प्रयास करे।

iv) *संसाधन प्रभारः* ऋण प्रस्ताव के संसाधन के लिए प्रत्येक वित्तीय संस्था कुछ प्रभार लेती है जिसे संसाधन प्रभार कहते हैं। ऋण मूल्यांकन में यह भी एक आवष्यक कारक होता है। कम से कम संसाधन प्रभार को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन यह भी देखना आवष्यक होता है कि ऋण प्रस्ताव विषेष में कोई प्रच्छन्न (अप्रत्यक्ष) लागत सम्मिलित तो नहीं है।

v) *ऋण स्वीकृति में लगने वाला समयः* वह बैंक जो ऋण स्वीकृति में कम समय लेता हो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। कुछ बैंकों में शाखा प्रबंधक ही ऋण स्वीकृत कर सकते हैं जबकि कुछ में स्वीकृति उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है। यदि शाखा प्रबंधक ऋण स्वीकृत कर सकता है तो यह स्वाभाविक है कि ऋण मिलने में समय कम से कम लगेगा। लेकिन यदि ऋण स्वीकृति देने वाला अधिकारी शाखा प्रबंधक से अलग होता है तो स्वीकृति आने में अधिक समय लग जाएगा।

9.6 कच्चा मालः इसकी उपलब्धि और महत्वपूर्ण सोच–विचार

व्यवसाय के पाँच 'एम' में से कच्चा माल (मैटिरियल) एक होता है। कच्चे माल द्वारा ही किसी उत्पाद को विकसित किया जा सकता है। उत्पाद को बाजार में बेचने के पश्चात् आय आनी आरंभ होती है। यह जानना आवष्यक होता है कि कच्चा माल उत्पाद की लागत में प्रथम तत्व है। अतः कच्चे माल पर जबसे उसे प्राप्त किया तथा जब तक उसका उत्पाद विकास में उपयोग होता है पूर्ण नियंत्रण आवष्यक है। निम्नलिखित परिच्छेदों में कच्चे माल से संबंधित मुख्य पहलुओं का वर्णन किया गया है।

क्रय करने के नियम

कच्चे माल को क्रय प्रक्रिया द्वारा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए क्रय प्रक्रिया पर उचित नियंत्रण आवष्यक होता है। निम्नलिखित तथ्य जिन्हें उत्तम क्रय के पाँच 'आर' भी कहा जाता है कच्चे माल की क्रय प्रक्रिया के मुख्य नियम हैंः

1. उचित स्त्रोत (Right Source)
2. उचित मात्रा (Right Quantity)
3. उचित गुणवत्ता (Right Quality)
4. उचित मूल्य (Right Price)
5. उचित समय (Right Time)

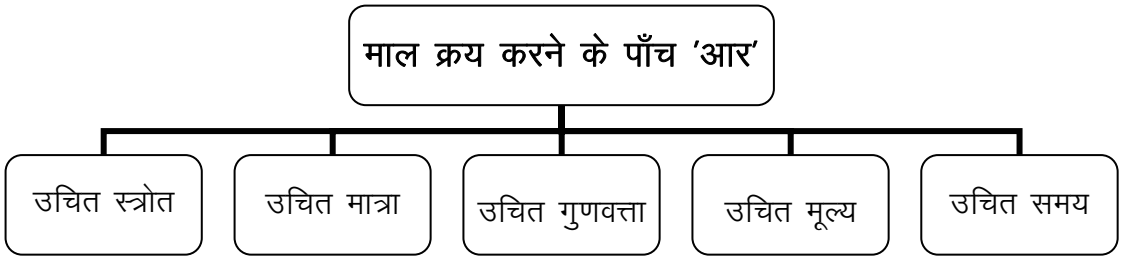

चित्र 9.4: कच्चा माल क्रय करने के पाँच 'आर' का चित्रांकन

अब हम इन नियमों का विस्तार में वर्णन करते हैं।

1. उचित स्त्रोत

उचित स्त्रोत से आषय उन आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं से है जिनसे हमें कच्चा माल प्राप्त करना होता है। यदि कच्चा माल प्राप्त करने का स्त्रोत उचित है तो हम यह आषा कर सकते हैं कि हमें उचित गुणवत्ता उचित मात्रा में उचित मूल्य और उचित समय पर मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में यदि स्त्रोत उचित है तो हमें शेष उचित क्रय के 'आर' भी आसानी से मिल जाएँगे। उचित स्त्रोत का चयन करते समय हमें निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिएः

i) *आपूर्तिकर्ता का कार्य स्थानः* उद्यमी को प्राथमिकता उसी आपूर्तिकर्ता को देनी चाहिए जो उसके उद्यम के निकट हो जिससे परिवहन पर होने वाला खर्चा बच जाए। वास्तव में आपूर्तिकर्ता की भौगोलिक स्थिति कच्चे माल की प्राप्ति में एक अहम् स्थान रखती है।

ii) *आपूर्तिकर्ता की वित्तीय स्थितिः* उद्यमी को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता की वित्तीय स्थिति दुरुस्थ है। वित्तीय स्थिति मजबूत होने की अवस्था में उसके स्टाक में कच्चा माल सदैव रहेगा, नहीं तो जब भी आर्डर दिया जाएगा वह अग्रिम राषि की माँग करेगा जिससे कच्चे माल की प्राप्ति कुछ समय पश्चात् ही हो पाएगी। दूसरे शब्दों में तुरंत आपूर्ति एक कठिन समस्या हो सकती है।

iii) *आपूर्ति की शर्तेंः* उद्यमी को कच्चा माल उन्हीं शर्तों पर लेना चाहिए जो उसे लाभप्रद हों। अतः आदर्ष आपूर्तिकर्ता वह ही होगा जो सबसे उत्तम शर्तें प्रदान करे।

iv) *आपूर्तिकर्ता के पास उत्पादन सुविधाएँः* अगर आपूर्तिकर्ता स्वंय ही कच्चा माल निर्मित कर रहा है तो यह ध्यान देने योग्य है कि क्या वह माँग आने पर अपनी उत्पादन सुविधाओं द्वारा तुरंत माल बनाकर आपूर्ति कर सकता है। उद्यमी को उचित आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा।

2. उचित मात्रा

उद्यमी द्वारा कच्चे माल को उचित मात्रा में अर्जित करना भी एक अन्य तत्व है जिसे ध्यान में रखना आवष्यक होता है। कच्चे माल को उचित मात्रा में क्रय करना निम्न बातों पर निर्भर करता हैः

i) उत्पादन के लिए कच्चे माल की वार्षिक आवष्यकता

ii) कच्चे माल की आपूर्ति में लगने वाला समय

iii) कच्चे माल की मात्रा जिसे उद्यमी एक समय विषेष पर अपने पास रख सकता है अर्थात् औसत कच्चे माल की आवष्यकता।

उद्यमी को यह निर्णय लेना होगा कि एक साल में कितने आर्डर कच्चे माल के देने चाहिए जिससे प्रति आर्डर लागत कम से कम हो। कच्चा माल भारी भरकम मात्रा में क्रय किया जा सकता है पर उस दषा में निवेषित पूँजी बहुत अधिक होगी तथा माल की भंडारण लागत भी अधिक होगी। इसलिए एक उचित समन्वय बनाना आवष्यक होता है जिससे उचित मात्रा में ही माल का क्रय किया जाए।

3. उचित गुणवत्ता

माल की उचित गुणवत्ता से आषय है कि यह उत्पाद की आवष्यकताओं को पूरा करेगा। गुणवत्ता में माल का आकार, रुपरेखा, दिखावा, रंग, शक्ति आदि सम्मिलित होते हैं। उत्पाद के अनुसार ही माल की उचित गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है।

4. उचित मूल्य

उचित मूल्य से आषय है कि गुणकारी माल उचित मात्रा में उस मूल्य पर उपलब्ध होता है। उचित मूल्य हो सकता है सबसे कम न हो लेकिन यह जितना संभव हो कम से कम मूल्य के पास होना चाहिए। उचित मूल्य का यह अर्थ भी है कि माल की आपूर्ति बिना किसी देर के उपलब्ध है, आपूर्तिकर्ता आवष्यक सेवाएँ प्रदान कर रहा है तथा माल को उद्यमी के द्वार तक लाने में परिवहन लागत कम से कम है। यह हो सकता है कि माल का मूल्य तो बहुत कम है पर उसे आपेक्षित स्थान पर लाने की परिवहन लागत बहुत अधिक होती है। अतः संपूर्ण लागत स्थानीय उपलब्ध माल की लागत से कहीं अधिक हो जाती है। इस दषा में स्थानीय लागत ही उचित मूल्य होता है।

5. उचित समय

उद्यमी को उचित समय पर माल उपलब्ध होना चाहिए। इससे आषय है कि जब भी माल पुनःआर्डर के स्तर पर पहुॅचे, माल की आपूर्ति हो जानी चाहिए नहीं तो माल की कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिना अधिक माल रखे हुए माल की आपूर्ति होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में क्रय का उचित समय वह है कि माल बिना अधिक मात्रा में भंडारण किए उपलब्ध रहता है। उचित समय का अर्थ यह भी है कि उद्यमी को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या माल की उपलब्धि उचित समय पर न होने के कारण उत्पादन को कुछ समय के लिए बन्द करना पड़ रहा है।

क्रय की प्रक्रिया

यदि उपक्रम का आकार अनुमति देता है तो माल का क्रय केवल क्रय प्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत 'क्रय–विभाग' द्वारा होना चाहिए। क्रय से संबंधित विभिन्न चरण निम्न प्रकार से हैं।

1. *क्रय माँग पत्रः* क्रय प्रक्रिया क्रय विभाग द्वारा क्रय माँग पत्र के प्राप्त होने से आरम्भ होती है। माँग पत्र में दिए गए तथ्य मात्रा, गुणवत्ता, माल प्राप्ति की तिथि आदि होते हैं। क्रय माँग पत्र का नमूना नीचे दिया गया है (तालिका 9.1):

तालिका 9.1: क्रय माँग पत्र का नमूना

ABC Bros.

Address:----------

Purchase Requisition

No. **Date----------**

Please arrange to purchase the following items by ----------2007

Code no. of the article	**Quantity to be purchased**	**Description of the article**	**Stock in hand**	**Previous order**	
				No. with date	**Name of the supplier**

Signature----------

(Name of the authorised signatory)

Designation

2. *निविदा (कोटेषन) मंगवाना*

क्रय माँग पत्र प्राप्त होने के पश्चात् क्रय विभाग विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करता है तथा उनसे निविदा (कोटेषन) मंगवाता है कोटेषन में मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता और अन्य क्रय शर्तों का वर्णन होता है।

3. *क्रय आर्डर*

क्रय विभाग विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निवादाओं (कोटेषनों) का आलोचनात्मक अध्ययन करता है। उसी व्यक्ति को आपूर्ति की प्राथमिकता देनी चाहिए जो उचित गुणवत्ता का माल उचित कीमत पर उपलब्ध करा सकता है। तत्पष्चात् क्रय आर्डर

बनाया जाता है जिसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को अधिकार दिया जाता है कि वह गुणकारी माल स्वीकृत शर्तों पर भेजे। क्रय आर्डर के नमूने के लिए तालिका 9.2 देखें।

तालिका 9.2: क्रय आर्डर का नमूना

ABC Bros.

Address:----------

Purchase Order

No. **Date----------**

Please arrange to supply the following items by ----------2007 as per the agreed terms and conditions stated overleaf:

S. No.	Description of the article	Quantity	Rate per item (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Remarks

Signature----------

(Name of the authorised signatory)

Designation

4. *माल की प्राप्तिः* प्राप्ति विभाग माल को आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करेगा उसका लपेटन हटाएगा तथा यह जाँचेगा कि माल प्रेषित प्रपत्रों के अनुसार ही है। असमानता होने पर उसे आपूर्तिकर्ता के ध्यान में लाया जाएगा जिससे सुधारक प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

5. *भुगतान क्रिया का प्रारंभः* क्रय माँग पत्र, क्रय आर्डर, बिल आदि की प्रतियाँ लेखा विभाग को भेज दी जाती है यह विभाग गणनाओं आदि की सत्यता का परीक्षण करता है तथा आपूर्तिकर्ता को भुगतान का चैक जारी कर देता है।

बोध प्रश्नों के लिए अभ्यास 3

नोट : क) अपने उत्तर के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ख) अपने उत्तरों का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें।

1. प्राप्ति विभाग के प्रबंधक श्री गुप्ता जी, परीक्षण उपरांत यह पाते हैं कि 100 सरसों के तेल के पीपों में से, जिन्हें मै0 नागपाल एण्ड कं0 ने प्रेषित किया है, पाँच रिसाव कर रहे हैं। उस उचित कार्यवाही का वर्णन करें जो गुप्ता जी करेंगे।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. माल प्राप्ति की प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न चरणों को उचित क्रम में लगाएँ:

i) कोटेषन मँगवाना

ii) क्रय माँग पत्र प्राप्त करना

iii) भुगतान प्रक्रिया आरंभ करना

iv) क्रय आर्डर देना

v) माल प्राप्त करना

9.7 सारांश

उद्यमी द्वारा यह निर्णय लेने के पश्चात् कि उसे किस व्यवसाय को आरम्भ करना है उसके लिए अगला प्रमुख कार्य है उस व्यवसाय के लिए विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था करना। अन्य संसाधनों के अतिरिक्त उसे वित्त और कच्चे माल की व्यवस्था करनी है। व्यवसाय को आरंभ करने के लिए, उसके विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्त की आवष्यकता पड़ती है। उद्यमी को स्थायी पूँजी (स्थायी परिसंपत्तियाँ क्रय करने के लिए) तथा कार्यषील पूँजी (व्यवसाय की रोजमर्रा की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए) दोनों की ही आवष्यकता रहती है। दीर्घकालीन वित्त स्वामित्व पूँजी द्वारा और प्रतिधारक लाभों का पुर्नविनियोजन करके प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त, फण्ड की उपलब्धि मित्रों और संबंधियों से हो सकती है तथा ऋणों की प्राप्ति व्यापारिक बैंकों, राष्ट्रीय–स्तर की वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न राज्य–स्तर की वित्तीय संस्थाओं से हो सकती है। अल्पकालीन वित्त विभिन्न स्त्रोतों जैसे बैंक अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट), नकद साख, विनिमय पत्रों को भुनाना, अल्पकालीन ऋण, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त व्यापारिक साख, सहकारी साख समितिओं से सहायता आदि से प्राप्त हो सकता है। कुछ विषिष्ट वित्तीय संस्थाएँ जैसे आई.डी.बी.आई, सिडबी, नाबार्ड, विभिन्न राज्य वित्त निगम, लघु औद्योगिक विकास निगम, जिला औद्योगिक केन्द्र भी उद्योगों को आकर्षित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। उद्यम में पूँजी लगाने से पहले उद्यमी को वित्त के विभिन्न स्त्रोतों का मूल्यांकन संपूर्ण प्रकार से कर लेना चाहिए।

उत्पाद के विकास के लिए कच्चे माल की आवष्यकता पड़ती है। उद्यमी को उत्तम क्रय के पाँच 'आर' का प्रयोग करना चाहिए। माल प्राप्ति के लिए, उद्यमी को उचित प्रकार की क्रय प्रक्रिया का अनुगमन करना चाहिए।

9.8 शब्दावली

संपार्ष्विक प्रतिभूति : दूसरी (गौण) प्रतिभूति जिसकी माँग प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण स्वीकृति के लिए की जाती है।

प्राथमिक खर्चे : कंपनी के बनने से पूर्व के खर्चे।

वचन–बद्धता प्रभार : बैंक द्वारा लगाया गया प्रभार, क्योंकि स्वीकृत ऋण सीमा का प्रयोग नहीं किया गया।

देय इक्विटी अनुपात : एक अनुपात जो देयता और इक्विटी के बीच संबंध दर्षाता है। सामान्यतः इक्विटी से दोहरी मात्रा का ऋण लिया जा सकता है।

विलम्बित भुगतान गारंटी : एक प्रकार की गारंटी जो वित्तीय संस्थाएँ स्थायी परिसंपत्तियों जैसे मषीन आदि के आपूर्तिकर्ता को देते हैं। इस गारंटी से आषय है कि किष्तों का भुगतान यथा समय हो जाएगा।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्नों हेतु अभ्यास 1

1. i) स्वामित्व फण्ड
   ii) मित्र और संबंधी
   iii) मित्र और संबंधी
   iv) व्यापारिक बैंक
   v) स्वामित्व फण्ड

2. i) कार्यषील पूँजी
   ii) स्थायी पूँजी
   iii) स्थायी पूँजी
   iv) कार्यषील पूँजी
   v) स्थायी पूँजी

3. i) व्यापारिक साख
   ii) संभूति खाते

iii) देषी बैंकर

iv) अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट)

v) विनिमय पत्रों का भुनाना

बोध प्रश्नों हेतु अभ्यास 2

1. i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

   ii) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक

   iii) राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक

   iv) राज्य वित्त निगम

2.

I	II
1. SFC	B) दिल्ली वित्त निगम
2. SIDCs	E) 28 (अट्ठाईस)
3. SSIDCs	D) लघु, अल्प लघु और कुटीर उद्योग
4. SIDBI	A) लघु क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की राष्ट्रीय संस्था
5. DICs	C) जिले में ऋणियों की पहचान

बोध प्रश्नों हेतु अभ्यास 3

1. **संकेतः** i) निरीक्षण के तुरंत बाद आपूर्तिकर्ता (अर्थात् मै0 नागपाल एण्ड कं0) को 5 पीपों के रिसाव के बारे में सूचित करना।

   ii) जब तक आपूर्तिकर्ता संतोषजनक कार्यवाही नहीं करता बिल भुगतान की स्वीकृति न दी जाए।

2. i) क्रय माँग पत्र प्राप्त करना

   ii) कोटेषन मंगवाना

   iii) क्रय आर्डर देना

   iv) माल प्राप्त करना

   v) भुगतान प्रक्रिया आरंभ करना

9.10 उपयोगी पुस्तकें

1. Desai, Vasant (1998) Dynamics of Entrepreneurial Development of Management; Himalaya Publishing House, Mumbai.

2. Gupta, C.B. and Khanka, S.S. (2004) Entrepreneurship and Small Business Management; Sultan Chand and Sons, New Delhi; Fourth Ed. Reprint.

3. Maheshwari & Mittal (2002) Cost Accounting, Theory and Problems; Shri Mahavir Book Depot, New Delhi, Twentieth Ed.

4. Mitra, Bidani and Kumar, Promod (1998) Bank Finance for Industry; Vision Books, New Delhi.

5. Nabhi Publication (2004) How to Borrow from a Banking and Financial Institution; Nabhi Publications, New Delhi.

9.11 कार्यभार

1. कोटक एन्टरप्राइजेज 10 लाख रु0 माल में निवेष करना चाहते हैं। किस प्रकार की पूँजी के अंतर्गत उसके आवेदन पत्र पर बैंक विचार करेगा।

2. विभिन्न अल्पकालीन वित्त स्त्रोतों का वर्णन करें।

3. विभिन्न दीर्घकालीन वित्त स्त्रोतों का वर्णन करें।

4. 'कार्यकारी साइकल (चक्र) की विद्यमानता के कारण कार्यषील पूँजी की आवष्यकता पड़ती है' इस पर वक्तव्य लिखें।

5. राज्य वित्त निगमों के विभिन्न कार्य बताएँ।

6. किसी अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापारिक बैंकों का योगदान कैसे होता है।

7. क्या देषी बैंकरों को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए? यदि हाँ, तो अभी भी वे हमारे समाज में क्यों विद्यमान हैं?

8. निम्नलिखित सरकार द्वारा उत्तरदायी योजनाओं को उचित प्रकार से लिखें:

   i) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वप्न योजना

   ii) प्रधानमंत्री की रोजाना योजना

   iii) स्वर्ण जयंती शताब्दी रोजगार योजना

9. मै0 कोहिनूर ब्रदर्स 500 कि0ग्राम चीनी क्रय करने के इच्छुक हैं। उनके द्वारा अनुगामित क्रय प्रक्रिया का वर्णन करें।

10. क्रय माँग पत्र माल क्रय की प्रक्रिया में प्रथम चरण है। माल प्राप्ति के शेष चरणों का वर्णन करें।

11. विकल्प एण्ड कं0 के नीचे दिए गए क्रय माँग पत्र के नमूने को पूरा करें।

Vikalp & Co.

Address:----------

Purchase Requisition

Signature----------

(Name of the authorised signatory)

Designation

12. निम्न कार्यकारी साइकिल को उचित शब्दों द्वारा पूरा करें।

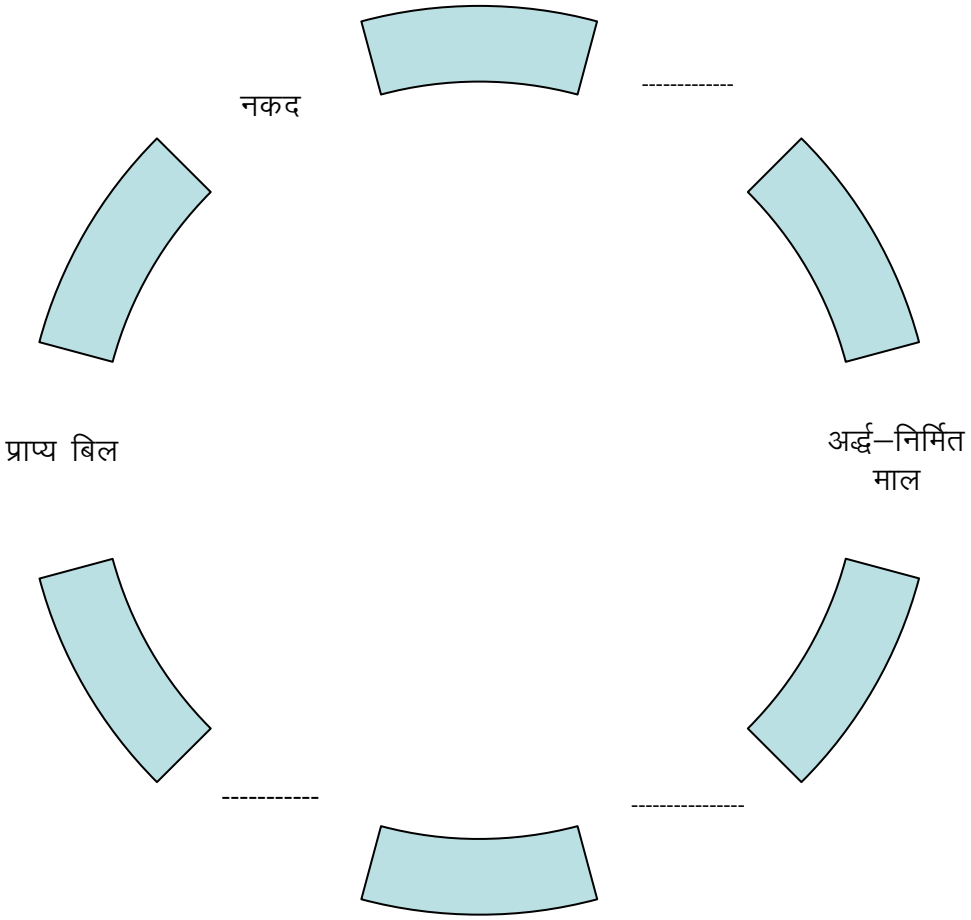

चित्र 9.5: .....